

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.1(12)नविवि/3/72/पार्ट-।

जयपुर, दिनांक 28 NOV 2019

आदेश

जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र हेतु तैयार किये गये प्रारूप मास्टर प्लान-2031 दिनांक 27.09.2013 को आपत्ति/सुझाव करने हेतु प्रकाशित किया गया था। लगभग 6 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी उक्त प्रारूप मास्टर प्लान को अन्तिम रूप देकर अनुमोदित नहीं किया गया है।

अतः सक्षम स्तर से निर्णय उपरान्त जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के प्रारूप मास्टर प्लान-2031 के संबंध में प्राप्त आपत्ति/सुझावों के आधार पर तैयार की गई आपत्ति/सुझाव रिपोर्ट एवं कमिटमेंट्स आदि को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में वांछित संशोधनों को पूर्व मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाकर नवीन प्रारूप मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार टीम/समिति का गठन किया जाता है:-

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पूर्व) | अध्यक्ष |
| 2. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर | सदस्य |
| 3. निदेशक, आयोजना, जोविप्रा | संयोजक |

उक्त टीम/समिति आदेश जारी होने की तिथि से 2 माह की अवधि में प्रारूप प्लान तैयार कर जोधपुर विकास प्राधिकरण को प्रेषित करेगी तथा प्रारूप मास्टर प्लान तैयार करने हेतु समस्त व्यय, जिसमें तकनीकी स्टाप (संविदा) के वेतन आदि का भुगतान भी सम्मिलित है, का भुगतान जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा।

भवदीय,

(३१)
(त्रिभुवनपति)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पूर्व), कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, जयपुर।
- वरिष्ठ नगर नियोजक, कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर।
- निदेशक, आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- रक्षित पत्रावली।

(३२)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय